



# BABA MASTNATH UNIVERSITY

UNIQUE BLEND OF ACADEMICS AND SPIRITUALITY | www.bmu.ac.in  
(RECOGNISED BY UGC)

ROHTAK, DELHI -NCR

**Internal Quality Assurance Cell**



## EVENT APPROVAL FORM

Academic Session: 2024-25

Proposed Event:	1. Guest Lecture		
Faculty Name:	Law		
Department Name:	Law		
Topic:	"Aao Karen Rajinama through Special Lok Adalat": An Initiative by Supreme Court of India from 29/07/2024 to 03/08/2024		
Duration: (in days)	One Day	Proposed Mode (Online or Offline)	Offline
		Date & Time:	20/06/24 at 10:00 noon
Proposed Fee (Rs.) (if any)	NA Amount in figure and words		
Speaker's Profile :	Sh. Rajbir Kashyap, Senior Advocate, District Legal Services Authority (DLSA), Rohtak		
Convener:	Dr. Ritu		
Co-Convener (if any):	Dr. Harvinder Barak		

*Ritu*  
Convener/Secretary  
(Signature with Full Name)  
Dr. Ritu

Director (IQAC)

*Ritu*  
Dy. Dean/Chairperson/HoD  
(Signature with Full Name)

*Dr. Ritu*  
*Mansha*  
19/6/24  
Registrar

Approved .

*Harme*  
Vice-Chancellor  
19.6.2024

Final Approval Status: 1. Approved 2. Not Approved 3. Reversed for Corrections



# BABA MASTNATH UNIVERSITY

Asthal Bohar – Rohtak, Haryana – 124021(India)

## FACULTY OF LAW

Ref. No. BMU/LAW/2024/ 5839

Dated: 19/06/2024

### NOTICE

The Department is organizing a guest lecture on the theme “Aao Karen Rajinama through Special Lok Adalat: An Initiative by Supreme Court of India” from 29/07/2024 to 03/08/2024 in collaboration with District Legal Services Authority (DLSA), Rohtak on 20/06/2024 from 10:00 am onwards in Seminar Hall, Faculty of Law, BMU. Sh. Rajbir Kashyap, Senior Advocate District Legal Services Authority (DLSA), Rohtak will be the resource person.



Dr. Manish Dalal  
Head  
Department of Law



Dr. Ritu  
Deputy Dean  
Department of Law

# Baba Mastnath University

## Faculty of Law

**Name of Event:** Guest Lecture on "Aao Karen Rajinama through Special Lok Adalat: An Initiative by Supreme Court of India" from 29/07/2024 to 03/08/2024

**Date:** 20/06/2024

**Time:** 10:00am

### Attendance Sheet

S. No.	Name of Student/Faculty	Class/Designation	Signature
1	Ray Bar Khandyab	Deputy Chief	[Signature]
2	Dr. Ritu	A.P.	[Signature]
3	Dr. Manish Dalal	A.P.	[Signature]
4	Dr. Harvinder	A.P.	[Signature]
5	Dr. Neha	A.P.	[Signature]
6	Ms. Sonia	A.P.	[Signature]
7	Maliya	A.P.	[Signature]
8	[Signature]	A.P.	[Signature]
9	Kavita Kumari	LLM 2.4	[Signature]
10	Demi Devi	L.L.M. final year	[Signature]
11	Nisha	L.L.M. final year	[Signature]
12	Mandeet	L.L.M. final year	[Signature]
13	Vishal Singh	LL.M. final year	[Signature]
14	Seema	LL.M. Final year	[Signature]
15	Banita	LLM final year	[Signature]
16	ANIKAL GROVER	LLM final year	[Signature]
17	Wakender	LLM final year	[Signature]
18	Subham Chauhan	LLM final year	[Signature]
19	Vinay Gantawat	LLM final year	[Signature]
20	Lokesh Gunde	LLM final year	[Signature]
21	Sonia	LL.M. final year	[Signature]
22	Himanshi Sinatch	LLM final year	[Signature]
23	Shivanshu	LLM final year	[Signature]
24	Ankit	LLM	[Signature]
25	Harinder	LLM	[Signature]
26	MILAN	LLM	[Signature]
27	Vandana Verma	L.L.M. final year	[Signature]
28	Sushant Wadli	LLM final year	[Signature]
29	AKSHAY DATTA	LLM final year	[Signature]
30	Nisha	L.L.M. final year	[Signature]

31			
32	Ankit Kumar	LLM Final Year	Anant Kumar
33	ASHWANI	LLM Final Year	Ashwani
34	Manvi	LLM Final Year	Manvi
35	Sapna	LLM Final Year	Sapna
36	Hitesh	LLM Final Year	Hitesh
37	Kapil Vanshika	LLM Final Year	Kapil
38	Latika	LLM Final Year	Latika
39	Abhishek	LLM Final Year	Abhishek
40	Loleish	LLM 3rd sem (2.3)	Loleish
41	Aarti	BALLB 5.7	Aarti
42	Jyoti	LLB 3.5	Jyoti
43	Shalu	LLM (final year)	Shalu
44	Nitika Singh	LLM final year	Nitika Singh
45	Humam Sivach	LLM final year	Humam
46	Ashish	L.L.M final year (2.4)	Ashish
47	Azihant Jain	L.L.M Final Year	Azihant
48	Dadugala	L.L.M Final Year	Dadugala
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

Signature of Convenor  
 9/6/24

*[Handwritten mark]*



भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT)  
 विशेष लोक अदालत  
 29.07.2024 से 03.08.2024 तक

Baba Mastnath University  
 Department of Law  
**LEGAL AID CLINIC**



Rohtak, Haryana, India  
 VJFP+FF2, Sector-28, Rohtak, Haryana 124021, India  
 Lat 28.873601°  
 Long 76.636105°  
 20/06/24 11:07 AM

GPS Map Camera



 **GPS Map Camera**



Rohtak, Haryana, India  
VJFP+CC4, Sector-28, Rohtak, Haryana 124021, India  
Lat 28.873654°  
Long 76.635858°  
20/06/24 11:09 AM



**आओ करें राजीनामा**  
**माननीय सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT) में**  
**विशेष लोक अदालत**  
 का आयोजन दिनांक 29.07.2024 से 03.08.2024 तक किया जा रहा है।

जिन सदस्यों को सम्बन्धित स्वतंत्रता व्यवस्थापन में लक्षित है तथा वे अपने मामलों का विशेष लोक अदालत में निपटारा चाहते हैं, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहताक के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहताक को कार्यालय की हार्प टाईम नं. 01282-250322 व मो. 8813861440 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

**लोक अदालत के फायदे**

लोक अदालत में कोई भी मामला जो विवाद के कारणों से अदालत में जाने लगता है, अदालत द्वारा निर्णय आसानी से प्राप्त हो सकता है। लोक अदालत में कोई भी मामला जो अदालत में जाने लगता है, अदालत द्वारा निर्णय आसानी से प्राप्त हो सकता है। लोक अदालत में कोई भी मामला जो अदालत में जाने लगता है, अदालत द्वारा निर्णय आसानी से प्राप्त हो सकता है।

सम्पर्क सूत्र: 01282-250322, मो. 8813861440

**Baba Mastnath University**  
**Department of Law**  
**LEGAL AID CLINIC**  
 Legal Care and Support Centre  
 Free Legal Aid for persons having annual income below Rs. 3 lakhs

3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता



GPS Map Camera



Rohtak, Haryana, India  
 VJFP+CC4, Sector-28, Rohtak, Haryana 124021, India  
 Lat 28.873636°  
 Long 76.635868°  
 20/06/24 11:10 AM








विशेष लोक अदालत  
अभियोग दिनांक 29.07.2024 से 01.08.2024 तक विचाराधीन

GPS Map Camera



Rohtak, Haryana, India  
VJFP+CC4, Sector-28, Rohtak, Haryana 124021, India  
Lat 28.873618°  
Long 76.635871°  
20/06/24 11:14 AM



# बाबा मस्तनाथ लॉ कालेज रोहतक के प्रांगण में विशेष लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए एक विशेष साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अपनी स्थापना के 75 वें वर्ष में सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसी कड़ी में आज दिनांक 20/6/2024 को सम्माननीया श्री मति निरजा कुलवंत कलसन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक एवं



सम्माननीय श्री अनिल कौशिक, सीजेएम साहब, डीएलएसए रोहतक के आदेश एवं निर्देशानुसार बाबा मस्तनाथ लॉ कालेज रोहतक के प्रांगण में विशेष लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए एक विशेष साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल राजबीर कश्यप एडवोकेट ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगामी लोकअदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों को सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस लोक अदालत में निपटारे की संभावना वाले उन सभी मामलों पर सुनवाई की जायेगी जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, ताकि उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके ऐसे मामलों में वैवाहिक, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित निपटान के मामले शामिल हैं। लोक अदालतें देश में न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं जिसमें हम सबको बढ चढ कर भाग लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के हेल्पलाइन नंबर 01262-257408 व मोबाइल नंबर 9896199622 पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल राजबीर कश्यप एडवोकेट, डॉ मनीश दलाल, डॉ नेहा, डॉ रितू मदान, डॉ राज रानी, पीएलवी साहिल एवं विधार्थीगण उपस्थित रहे।

# विशेष लोक अदालत

## 29 जुलाई से



रोहतक। अपनी स्थापना के 75 वें वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसी कड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन व सीजेएम अनिल कौशिक के निर्देशानुसार बाबा मस्तनाथ लॉ कालेज में विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल राजबीर कश्यप ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों को सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस लोक अदालत में निपटारे की संभावना वाले उन सभी मामलों पर सुनवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।

लोक अदालतें देश में न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के हेल्पलाइन नंबर 01262-257408 व मोबाइल नंबर 9896199622 पर संपर्क किया जा सकता है। इस मौके पर डॉ मनीष दलाल, डॉ नेहा, डॉ रितू मदान, डॉ राज रानी, पीएलवी साहिल एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

# विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम आयोजित

ऋषि की आवाज रोहतक- अपनी स्थापना के 75 वें वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसी कड़ी में वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती निरजा कुलवंत कलसन व सीजेएम अनिल कौशिक के निर्देशानुसार बाबा मस्तनाथ लॉ कालेज रोहतक के प्रांगण में विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल राजवीर कश्यप ने बताया कि सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों को सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने



की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस लोक अदालत में निपटारे की संभावना वाले उन सभी मामलों पर सुनवाई की जायेगी जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, ताकि उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके ऐसे मामलों में वैवाहिक, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम

से संबंधित निपटान के मामले शामिल हैं।

लोक अदालतें देश में न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं, जिसमें हम सबको बढ चढकर भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर डॉ मनीष दलाल, डॉ नेहा, डॉ रितू मदान, डॉ राज रानी, पीएलवी साहिल एवं विधार्थीगण उपस्थित रहे।

# विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम आयोजित

रोहतक, 20 जून (संजीव): अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसी कड़ी में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरजा कुलवंत कलसन व सी.जे.एम. अनिल कौशिक के निर्देशानुसार बाबा मस्तनाथ लॉ कॉलेज रोहतक के प्रांगण में विशेष लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल राजवीर कश्यप ने बताया कि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों को सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता



कार्यक्रम में अपने विचार रखते अधिवक्ता।

के अनुरूप है।

लोक अदालत में निपटारे की संभावना वाले उन सभी मामलों पर सुनवाई की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, ताकि उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में वैवाहिक, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित निपटान के मामले शामिल हैं।

लोक अदालतें देश में न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं, जिसमें हम सबको बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक के हैल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर डा. मनीष दलाल, डा. नेहा, डा. रितू मदान, डा. राज रानी, पीएलवी साहिल एवं विधार्थीगण उपस्थित थे।